





न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.
30/3/21	<p>वकील/वादा/उपास्थित पाठन वकील बाहर पधारे हैं आयन्दा पत्रावली दि० 27/1/21 को पेज होवे।</p> <p style="text-align: center;"></p>
27/5/21	<p>वकुलत फरीकन उपस्थित ^{पत्रावली} अधिकारी ने कार्य स्थगन किया हुआ है। फरीकन पत्रावली में दि० 26/21 को पेज होवे।</p>
8/2/21	<p>वकुलत फरीकन उपस्थित ^{पत्रावली} अधिकारी ने कार्य स्थगन किया हुआ है। फरीकन पत्रावली में दि० 31/8/21 को पेज होवे।</p> <p style="text-align: center;">CH</p>
31/8/21	<p>वकुलत 391 वान्ति इन्तजार पत्रावली रिपोर्ट पत्रावली पत्रावली 21/31 को पेज होवे।</p>
21/9/21	<p>वकुलत फरीकन/वादा/उपास्थित पाठन अधिकारी बाहर पधारे हैं आयन्दा पत्रावली दि० 21/1/21 को पेज होवे।</p> <p style="text-align: center;"></p>
21/11/21	<p>पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होने से पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में दिनांक 30/11/21 का पत्रावली होवे।</p>
30/11/21	<p>भाज यह पत्रावली प्रशासन गान के संगे कैम्प ग्रा०पं० उजौली के पेशादारी शर्षी स्वयं उपण शर्षी द्वारा अपना मूल वाद विद्वा करानिया गया। अब इस शर्षीना पत्रावली को अर्ज चलावे का कोई औचित्य नहीं है। अतः शर्षी का शर्षीना पत्रावली अध्या० 21/21 Act खारिज किया जाता है। पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर में काम हो। वाद तब मील दायर।</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">शिविर पत्रावली गंगा नगर उपखण्ड अधिकारी</p>